न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19 / 2021

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर —प्रार्थी

बनाम

1. धापू पत्नि रामलाल माली
2. जवाहर, रामधन, रामलाल, धन्नी, कन्या पिता रामलाल माली
3. श्रीमति शान्ति पत्नि छीतर माली
4. राजेन्द्र, गणेश पुत्र छीतर जाति माली निवासीगण सूरजपोल गेट बाहर माली मोहल्ला केकड़ी
5. श्री बालूराम पुत्र नाथूराम जाट निवासी तितरिया तहसील केकड़ी
6. आशीष कुमार अग्रवाल पुत्र कपूरचन्द अग्रवाल जाति महाजन निवासी बोगला
7. श्रीमति सीमा देवी पत्नि गणेश कुमार जाति माली निवासी माली मोहल्ला केकड़ी
8. श्रीमति मनभर देवी पत्नि श्री राजेन्द्र माली निवासी माली मोहल्ला केकड़ी
9. बालूराम पुत्र श्री माधू जाट निवासी कोटा रोड केकड़ी
10. भैरूलाल जाट पुत्र बरदा जाट निवासी प्रान्हेडा
11. बालूराम पुत्र नाथू जाट निवासी कोटा रोड केकड़ी
12. श्री अरविन्द कुमार आछेरा पुत्र मनमोहन आछेरा जाति छीपा निवासी तेजा चौक छीपा मोहल्ला पुरानी केकड़ी
13. श्री अरविन्द कुमार आछेरा पुत्र मनमोहन आछेरा जाति छीपा निवासी तेजा चौक छीपा मोहल्ला पुरानी केकड़ी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

उपस्थितः—

1. श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड — अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4
2. श्री हेमन्त जैन — अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 12 व 13
3. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 11 एकपक्षीय कार्यवाही

दिनांक : 12/5/23

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई पेरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी उपस्थित प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

तहसीलदार केकड़ी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया है कि वर्तमान जमाबंदी राजस्व ग्राम केकड़ी की प्रार्थना वर्णित आराजी का विवरण निम्नानुसार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
947—1593	7266	0.0418	बा.उ.
	किता 1	रकबा 0.0418 हैक्टर	

उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 13 क्रेतागण है। खातेदारान ने वर्णित आराजीयात पर अवैध रूप से भूमि को नगरीय रूपान्तरण कराये बिना ही व्यवसाय प्रयोजनार्थ भूखण्ड बनाकर विक्रय कर रहे है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत अवैध है। जिसकी शिकायत प्राप्त हुई जिस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट हल्का पटवारी से ली गई। हल्का पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बिना

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो विधि विरूद्ध है। धारा 177 के अन्तर्गत किसी ऐसे कार्य वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है जिसके भंग करने पर वह विशेष संविदा जो अधिनियम के उपबन्ध 2 के प्रतिकूल नही है के अनुसार बेदखली का दायी है तथा भूमि को सरकारी सिवायचक घोषित कराने सहित रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने एवं वाद के निर्णय तक रिसिवर नियुक्त करने की प्रार्थना की है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र व शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 के जवाब में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को गलत होना बताते हुए उक्त भूमि का बगेर भूमि रूपान्तरण निर्माण कार्य नही करने बाबत वर्णित किया गया साथ ही भूमि रूपान्तरण एवं भूउपयोग परिवर्तन से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होना वर्णित किया। तथा प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है। अप्रार्थी संख्या 12 व 13 की ओर से कोई जवाब पेश नही किया जाकर मौखिक बहस की गई।

बहस

दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि भूमि का नियमानुसार भूमि रूपान्तरण एवं भूउपयोग परिवर्तन कराकर ही निर्माण कार्य करेंगे। अप्रार्थीगण भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही [illegible] जिससे राज्य सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी। तथा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति नही होगी तथा राजस्व का नुकशान होगा तथा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से उक्त आशय का शपथ पत्र पेश किया गया जिस ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 व 13 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि बगेर भूमि रूपान्तरण कराये किसी प्रकार का निर्माण नही करेंगे तथा प्रस्तुत प्रकरण धारा 212 व धारा 177 की परिधी में नही आता है। प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

आदेश

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 4 ने बगेर भूमि रूपान्तरण कराये वादग्रस्त भूमि पर निर्माण नही कराने के संबंध में स्वयं का तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किया है। यदि इस स्तर पर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किये जाते है तो अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थी राज्य सरकार को भूमि रूपान्तरण एवं भूउपयोग परिवर्तन की कार्यवाही में होने वाली राजस्व की प्राप्ति नही हो पायेगी तथा राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। इस प्रकार अप्रार्थीगण के बजाय प्रार्थी राज्य सरकार को क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त तीनो बिन्दु अपने पक्ष में साबित नही कर पाये है। अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। फलतः प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी (अजमेर)